



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

क्रमांक:सीएसएफ / हिसार 1-244 / स्था0 / 2023-24 /

दिनांक: 07.12.2023

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार, जिला-हिसार (हरियाणा) के खण्ड-2 व 3 की रिहायसी कॉलोनी, कार्यालय व कार्यशाला परिसर, अतिथिगृह व सभागृह, पार्कों व सड़कों आदि की दो वर्ष की अवधि के लिए साफ-सफाई का ठेका आवंटित करने बाबत पंजीकृत फर्मों/पार्टियों से दो बिड कार्य प्रणाली के तहत ई-निविदायेँ दिनांक 23.12.2023 तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पार्टियों द्वारा ठेके के नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित धरोहर राशि 20,000/- तथा रुपये 590/- (रु0 500 एवं 18% जी.एस.टी.) टेण्डर फार्म फीस ऑनलाईन जमा करवाकर दिनांक 23.12.2023 को दोपहर 01:00 बजे तक ई-निविदायेँ ऑनलाईन भर सकते हैं। तकनीकी बिड उसी दिन दोपहर 03:00 बजे खोली जायेंगी तथा तकनीकी बिड में क्वालीफाई फर्मों की वित्तीय निविदा शाम 04:00 बजे खोली जायेगी। ई-निविदा प्रपत्र एवं अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से डाउनलोड की जा सकती है। ई-निविदा में भाग लेने हेतु निगम के ई-पोर्टल <https://indiaseeds.enivida.com> पर निविदादाता का पंजीकृत होना आवेक है। ठेके की निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का भुद्धि पत्र केवल निगम की वेबसाइट पर ही डाला जायेगा। ठेके की अवधि को बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के पास सुरक्षित होगा।

प्रभारी मानव संसाधन
कृते फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्ना कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001



मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

No.: CSF/1-244/Estt./2023

Date: 07-12-2023

NOTICE INVITING E-TENDER FOR CLEANING AND SWEEPING WORKS AT NSC LTD., CENTRAL STATE FARM: HISAR (HARYANA)

A National Seeds Corporation Ltd. (NSC) is a Schedule 'B'-Miniratna Category-I company wholly owned by Government of India under the administrative control of Department of Agriculture Cooperation & Farmer's Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India. Central State Farm, Hisar a unit of National Seeds Corporation Ltd.,(NSCL) situated at 10 K.M. Sirsa Road, Hisar invites "E Tenders (Technical & Financial)" from registered firms for cleaning and sweeping works in Block-2 &3 of Farm.

Detailed eligibility & other criteria may be viewed from the tender document. The party fulfilling the technical bid criterias of the tender may submit bids as per schedule given below. NSC, CSF, Hisar reserves the right to modify, expands, restrict, scrap, refloat or cancel the Tender at any stage without assigning any reason, Responses received after the stipulated time period or not in accordance with the specified format will be summarily rejected.

The details may be viewable on the website of NSCL i.e. www.indiaseeds.com. The tender can only be submitted online on <https://indiaseeds.enivida.com>

1	Name of Work	Cleaning and Sweeping Works in Block-2 & 3 of NSC, CSF, HISAR
2	Location	Central State Farm, Hisar-Block No. II(Thaska block residential colony, Workshop & Office premises) and Block-III (Main Office, Rest House, Sabhagar, Dispensary & Central colony residential campus, parks & roads etc.)
3	Earnest Money (In Rs.)	20,000/-
4	Security Deposit (In Rs.)	30,000/-
5	Cost of Tender	Rs. 590.00 (Rs. 500+ 18% GST)
6	Start Date & Time for uploading of Tender	09-12-2023 online by 10-00 Hrs.
7	Last Date & Time for submission of Tender	23.12.2023 online by 13.00 Hrs.
8	Date & Time of opening of tender	Technical Bid 23.12.2023 online by 03 P.M. Price Bid 23.12.2023 online by 04 P.M.
9	Address for Communication	The Farm Head, Central State Farm, Hisar-125011 Haryana E-Mail- csf.hisar@indiaseeds.com Contact No: 8685912418
10	Bank Accounts Details for RTGS	Name:- National Seeds Corporation Ltd. Bank:- State Bank of India, Address: Sector-14 , Hisar A/c No. : 33957537351 IFSC : SBIN0005700

In case 23.12.2023 is declared holiday, the tender will be opened at the same time on the next working day.

Incharge HR
For Head of Farm

Instructions to Bidder

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission

of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में सफाई कार्य का ठेका देने हेतु नियम व भातें

1. ठेका की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से अग्रिम दो वर्षों के लिये या केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के फार्म प्रमुख के अग्रिम आदेशों तक होगी। सफाई ठेके का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर फार्म प्रमुख द्वारा ठेके की अवधि को 6 महीने/एक साल वर्तमान दरों एवं ठेके के वर्तमान अनुबंध की नियम व शर्तों पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार फार्म प्रमुख द्वारा ठेके की अवधि को घटा कर 30 दिन का नोटिस देकर बिना किसी कारण के समाप्त किया जा सकता है। ठेके की अवधि को बढ़ाने या घटाने का फैसला पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख पर निर्भर होगा व सुरक्षित रहेगा। ठेके से संबंधित विस्तृत जानकारी फार्म के प्रभारी मानव संसाधन के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।
2. ठेके की अवधि दो वर्ष तक होगी। (जिस दिन से वास्तविक कार्य प्रारम्भ होगा उससे लेकर दो वर्ष तक)
3. सफाई कार्य क्षेत्र(1) खण्ड-2 (रिहायसी कालोनी, कार्यशाला व गोदाम परिसर) (2) खण्ड-3 (मुख्य-कार्यालय परिसर, रेस्ट हाउस, डिस्पेंसरी, सभागार व केन्द्रीय कालोनी रिहायसी परिसर, पार्क एवं सड़कें)। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम संख्या	कार्य क्षेत्र	कार्य विवरण
1	खण्ड-2	(1) खण्ड-2 के रिहायसी परिसर, गोदाम व कार्यशाला परिसर धर्मकाटां कार्यालय में प्रतिदिन नियमित रूप से साफ-सफाई करना। (2) खण्ड-2 के कार्यालयों के आस-पास स्थित सभी शौचालयों(कुल 01 शौचालय) की नियमित साफ-सफाई प्रयोग में आने वाले रसायनों से करना (जैसे की हारपीक, फिनाइल इत्यादि) (3) सफाई के बाद इकट्ठे किये गये कचरे को गड्ढे में दबाना एवं उचित रूप में निस्तारण करना। (4) समय-समय पर समस्त साफ-सफाई के कार्यों को अधिकारियों की दिशा-निर्देश अनुसार करना। (5) खण्ड-2 के कार्यालय परिसर एंवम कर्मचारी आवासों के आस-पास कोई पशु/जानवर मृत पाये जाने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनको उचित जगह <u>दफनाना/निस्तारण</u> करना।
2	खण्ड-3	(1) खण्ड-3 की केन्द्रीय कॉलोनी में स्थित मुख्य कार्यालय, निर्देशक आवास, मुख्य गेट, धर्मकांटा कार्यालय, रिहायसी परिसर, अतिथिगृह व सभागृह, पार्क एवं सड़कें आदि में प्रतिदिन नियमित रूप से साफ-सफाई करना। 2) सफाई के बाद इकट्ठे किये गये कचरे को गड्ढे में दबाना एवं उचित रूप में निस्तारण करना। (3) खण्ड-3 मुख्य कार्यालय के शौचालयों (कुल 02 शौचालयों) की नियमित साफ-सफाई प्रयोग में आने वाले रसायनों से करना (जैसे की हारपीक, फिनाइल इत्यादि) व मनोरंजन क्लब स्थित शौचालयों(कुल 02 शौचालयों) की सप्ताह में 02 बार साफ-सफाई करना। (4) समय-समय पर समस्त साफ-सफाई के कार्यों को अधिकारियों की दिशा-निर्देश अनुसार करना। (5) खण्ड-3 के कार्यालय परिसर एंवम कर्मचारी आवासों के आस-पास कोई पशु/जानवर मृत पाये जाने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनको उचित जगह <u>दफनाना/निस्तारण</u> करना।

4. उक्त कथित क्षेत्रों में सफाई कार्य के ठेके से सम्बन्धित ई-निविदा दिनांक 23.12.2023 को दोपहर 01:00 बजे तक ऑनलाईन माध्यम से स्वीकार की जायेगी। इच्छुक पार्टियों द्वारा निविदा के साथ रुपये 20,000/- की निर्धारित धरोहर राशि व रू0 590/- (रू0 500 एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी.) टेण्डर फार्म फीस (नॉन-रिफण्डेबल) फार्म खाते में RTGS/NEFT द्वारा जमा करवा कर प्रमाण तकनीकी निविदा के साथ में संलग्न करना होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत पार्टियों सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये सार्वजनिक उपायन नीति आदेश 2012 के तहत टेण्डर फार्म शुल्क व रुपये 20,000/- की अग्रिम राशि (EMD) जमा करने की शर्त से मुक्त रहेंगी।

5. ठेके की प्रतिभूति राशि (Security Deposit) रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार केवल) होगी व सफल निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित कर दी जायेगी। सफल निविदादाता को दरें स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने के दो दिन के भीतर शेष राशि रुपये 10,000/- फार्म के बैंक खाते में जमा करानी होगी। फार्म द्वारा प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा व ठेके के कार्य के संतोषजनक रूप से समाप्त होने के दो माह के भीतर बिना ब्याज के सम्बन्धित ठेकेदार को वापिस की जाएगी।
6. उक्त ऑनलाईन-निविदा दो निविदा कार्यप्रणाली के तहत भरी जानी है (तकनीकी प्रपत्र एवं वित्तीय प्रपत्र अलग-अलग भरने होंगे)। पहले तकनीकी प्रपत्र को खोला जायेगा यदि निविदादाता द्वारा भरा गया तकनीकी प्रपत्र नियम व शर्तों के अनुसार सही पाया जाता है तो ही वित्तीय प्रपत्र खोला जायेगा।
7. निविदादाता को तकनीकी प्रपत्र को सही तरह से भरकर निम्नलिखित सभी सम्बन्धित दस्तावेज स्वप्रमाणित कर संलग्न करने होंगे:-
 (1) सम्बन्धित पार्टी के पास श्रम विभाग द्वारा अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत जारी दुकान व स्थापना अधिनियम पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। (2) पैन कार्ड (अनिवार्य), (3) जीएसटी पंजीकरण (अनिवार्य), (4) एमएसएमई/एनएसआईसी पंजीकरण (यदि पंजीकृत है तो), (5) ईपीएफ पंजीकरण संख्या (अनिवार्य), (6) ईएसआई पंजीकरण संख्या (अनिवार्य)।
8. ठेके में भाग लेने के लिये निविदादाता को केन्द्र/राज्य सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थान/सरकारी उपक्रम/निगम में संलिप्त सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान में 03 वर्षों के सफाई ठेके कार्य का कार्यानुभव होना अनिवार्य है। निविदादाता को उक्त 03 वर्ष के कार्य अनुभव के प्रमाण तकनीकी निविदा में प्रस्तुत करने होंगे।
9. निविदादाता को एफिडेविट देकर प्रमाणित करना होगा कि उसे या उसकी फर्म को कभी भी किसी भी सरकारी/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है व उसके द्वारा निविदा में जमा करवाये गये दस्तावेज पूरी तरह से सही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति/फर्म ठेके में भाग नहीं ले सकेगा जो पूर्व में कभी भी निगम के किसी फार्म/ईकाई में फार्म विरोधी/गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित रहा है या राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड/अन्य किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र/निगम आदि संस्थान के द्वारा ब्लैक-लिस्टेड/प्रतिबंधित (Blacklist/Delist/Debarred) हो या जिसका राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद चल रहा हो।
10. ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 01 महीने के अन्दर केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत फार्म पर ठेके का कार्य करने हेतु जारी ठेकेदार लाइसेंस प्राप्त कर कार्यालय में जमा कराना होगा।
11. ठेकेदार खण्ड-2 व 3 में प्रतिदिन सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार मानव श्रम शक्ति उपलब्ध करवाकर सफाई कार्य संतोषजनक रूप से करवाना सुनिश्चित करेगा।
12. ठेकेदार को सही प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रबन्ध करना होगा, उसके द्वारा लगाया गया कोई भी व्यक्ति आपराधिक/झगडालू प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिये। यदि ठेकेदार या उसके द्वारा फार्म पर नियुक्त श्रमिक किसी प्रकार का गैर कानूनी कृत्य, फार्म कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने या निर्देशों की अवहेलना करने के लिये जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके विरुद्ध फार्म प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
13. ठेकेदार द्वारा किए गए सफाई कार्य व्यवस्था संतोषजनक रूप से नहीं करने पर फार्म को सफाई कार्य किसी भी व्यक्ति/फर्म से कराने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में जो भी खर्चा आएगा वह ठेकेदार के मासिक भुगतान से काट लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा आवंटित ठेका बिना किसी नोटिस के निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व उसको 5 साल के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाएगा।
14. ठेकेदार को सफाई ठेके कार्य के बिल हर आगामी माह की 20 तारीख तक फार्म कार्यालय में वेतन भुगतान सूची, ई.पी.एफ./ई.एस.आई., जी.एस.टी. के समस्त दस्तावेजों सहित जमा कराना अनिवार्य होगा। फार्म द्वारा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान मासिक आधार पर नियमान्तर्गत देय टैक्स काटने के पश्चात किया जायेगा। इसके साथ-2 ठेकेदार को प्रत्येक माह के बिल के साथ अपने पत्र पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने फार्म पर लगाए गए श्रमिकों के वेतन का भुगतान केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा समय-2 पर निर्धारित न्यूनतम वेतन व श्रम कानून के अनुसार किया है व उसके द्वारा सभी कामगारों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा करा दिया गया है। इसके साथ-2 ठेकेदार को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (18 प्रतिशत जी.एस.टी.) संबंधित विभाग में प्रतिमाह स्वयं जमा कराकर मासिक बिल के साथ जमा कराई गई जी.एस.टी. राशि के मूल चालान संलग्न करने होंगे। ठेकेदार प्रति माह अपने बिल के साथ उसके द्वारा फार्म पर ठेके के कार्य हेतु सभी नियुक्त सभी श्रमिकों के बैंक खाते में

केन्द्र सरकार के श्रम कानूनों के अनुसार जमा की गई वेतन की राशि के भुगतान का विवरण / (Proof), ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की राशि, न्यूनतम मजदूरी भुगतान, 18 प्रतिभात वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) एवं अन्य वैधानिक देयता जो श्रम कानून के अन्तर्गत आती है के प्रुफ सलंगन करेगा । यदि ठेकेदार मासिक बिल के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो फार्म द्वारा उसके बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । ठेकेदार द्वारा उपरोक्त सभी भातों को पूरा करने की स्थिति में फार्म द्वारा उसके बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा ।

ठेकेदार लगाये गये श्रमिकों के वेतन का भुगतान हर महीने की 07 तारीख तक नहीं करने की स्थिति में फार्म प्रबंधन को प्रमुख नियोक्ता होने के नाते ठेकेदार के बिलों का भुगतान रोकने व ठेकेदार को देय राशि (मासिक बिल/प्रतिभूति राशि) से श्रमिकों को सीधे भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा । ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन का भुगतान किये जाने व फार्म कार्यालय में श्रमिकों से अदेयता प्रमाणपत्र/भुगतान का प्रमाण जमा कराने के पश्चात ही फार्म प्रबंधन द्वारा ठेकेदार के बिल का भुगतान किया जायेगा ।

15. ठेकेदार को ठेका आरम्भ होने के पश्चात लगाये गये श्रमिकों की हाजरी का रिकार्ड स्वयं रखना होगा, जिसकी जाँच फार्म प्रशासन द्वारा की जायेगी ।
16. ठेकेदार द्वारा ठेके का कार्य बीच में छोड़ने तथा उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबंधन द्वारा 30 दिन का नोटिस देकर निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी । इसके साथ-2 ठेकेदार को आगामी तीन साल के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा ।
17. सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात फार्म के साथ रुपये 100/- (रुपये पांच सौ मात्र) के नॉन- ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध (Agreement) निष्पादित करना होगा ।
18. असफल निविदादाताओं/बोलीदाताओं की धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
19. उक्त ठेके की अवधि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष तक की होगी तथा कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उक्त ठेके की अवधि को अग्रीम वर्षों के लिए समान दरों व नियम व शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है ।
20. कार्य पर लगाये गये सफाईकर्मियों का पूरा रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी । सफाईकर्मियों को किसी भी प्रकार की देय राशि/सरकारी कर जैसेकि ईपीएफ, एसआई आदि के लिए ठेकेदार पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेदार होगा ।
21. सफाई ठेकेदार को अपने द्वारा लगाए गए कर्मियों के मामले में केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा लागू श्रम कानूनों की अनुपालना करनी होगी । ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष व अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए व वह भारीरूप से सक्षम होने चाहिए । स्वयं उसकी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी श्रमिक की दुर्घटना होने की स्थिति में फार्म प्रबंधन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी । केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे जैसे ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0, न्यूनतम मजदूरी, वस्तु एवं सेवाकर जी.एस.टी. आदि नियमों का पालन की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी व इस बाबत अलग से फार्म द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
22. सफाई ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे सफाई ठेकेदार के नाम स्थानान्तरित नहीं कर सकता ।
23. सफाई ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये गये व्यक्तियों को भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी भी सफाई ठेकेदार की होगी एवं भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है ।
24. अनुबन्ध में वर्णित किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करने के साथ-साथ उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

Arbitration / विवाचन :

सफाई ठेके के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार-विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे । दोनों पक्षों में आपसी विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में दोनों पक्ष मामले का समाधान/निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रावधान के अनुसार करने पर बाध्य होंगे । इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के द्वारा विवादित मामले के निपटारे हेतु एकल विवाचक की नियुक्ति दोनों पक्षों की सहमति से की जायेगी व दोनों पक्ष अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के फैसले की अनुपालना करेंगे । विवाचक

का फैसला अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराएं। ठेके से संबंधित विवाद के संदर्भ में विवाचन (Arbitration) की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जायेगी व स्थान नई दिल्ली होगा। केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही लागू होगा।

“ In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion, then it shall be binding upon the parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time. Under this provision, the Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Ltd with the concurrence of both the parties shall appoint Sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English language. The court of Delhi shall have the jurisdiction.”

मैंने उपरोक्त फार्म के ठेके की सभी नियम व भातें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आवंटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व भातों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

1. हस्ताक्षर
2. नाम.....
3. पता.....
4. फोन न०.....
5. ई-मेल आई.डी.....
6. बैंक खाते का विवरण

तकनीकी-बिड

(To be submitted on letter head of firm/agency under signatures of the authorized signatory)

(फर्म/एजेंसी के लेटरपेड पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें)

क्रम सं	विवरण	उपलब्ध करवाया गया विवरण	रिमार्क
1	फर्म का नाम		
2	पता		
3	केंद्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत जारी दुकान व स्थापना अधिनियम पंजीकरण प्रमाण पत्र		
4	Non –Black listing Affidavit		
5	जीएसटी पंजीकरण संख्या (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)		
6	पैन नंबर (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)		
7	आधार नंबर (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)		
8	ईपीएफ पंजीकरण संख्या (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)		
9	ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)		
10	03 वर्ष कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र		
11	जमा करवाई टेन्डर फीस का ब्योरा (प्रमाण संलग्न करें)		
12	जमा करवाई गई धरोहर राशि की जानकारी (प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है)		
13	सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत (MSME)/एनएसआईसी(NSIC) पंजीकृत पार्टियों द्वारा टेन्डर फीस एवं धरोहर राशि में छूट पाने के लिए जमा कराये गए प्रमाण-पत्र		
14	सफाई कार्य के ठेके की नियम एवं शर्तों की एक प्रति हर पेज पर हस्ताक्षर कर तकनीकी पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है अथवा नहीं ?		

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य हैं तथा मेरी/हमारी फर्म को पिछले तीन वर्ष में किसी भी सरकार अथवा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित/निषेध नहीं किया गया है। यदि कोई भी सूचना किसी भी समय गलत पाई जाती है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को मेरे अथवा मेरी फर्म के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट:-सफाई कार्य के ठेके की नियम एवं शर्तों की एक प्रति हर पेज पर हस्ताक्षर कर इस तकनीकी पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है

वित्तीय-बिड

(To be submitted on letter head of firm/agency under signatures of the authorized signatory)

(फर्म/एजेंसी के लेटरपेड पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करें)

सेवा में,

श्रीमान फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
हिसार - 125011(हरियाणा)

विषय:- सफाई कार्य हेतु निविदा दरें

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में दो वर्ष की अवधि तक के लिए सफाई कार्य का ठेका लेना चाहता हूँ, जिसकी दरें निम्न अनुसार होंगी।

क्रम सं	कार्य- क्षेत्र	दर प्रति माह (रुपए में) समस्त करो व सर्विस चार्ज सहित
1	खंड-2 (रिहायसी कालोनी, कार्यशाला परिसर एवं गोदाम परिसर) व खंड-3 (मुख्यालय, केन्द्रीय कालोनी परिसर, रेस्ट हाउस, सभागार, पार्क एवं सड़के)	

उक्त सफाई ठेके की सभी नियम व शर्तें मुझे मंजूर हैं तथा यदि मुझे उक्त ठेका आबंटित होता है तो मैं समझौता- पत्र रुपए 100-00 (रुपए एक सो मात्र) के नॉन जयूडिशल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध निष्पादित करूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

